राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1175/2017

मांगीलाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, बांरा।
4. पुलिस अधीक्षक, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 04.12.2016 (अनुलग्नक–2)को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देय दिनांक 04.04.2016 से नहीं दिया जाकर परिनिन्दा की सजा के प्रभाव के कारण देय तिथि से एक वर्ष बाद दिया गया है। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 04.04.2016 से देय था। अपीलार्थी का प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष के लिए रोका गया है, क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध परिनिन्दा के दण्ड का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव चयनित वेतनमान के लाभ पर नहीं डाला जा सकता था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2007 में जिला बांरा में कानि. के पद पर भर्ती किया गया था तथा पुलिस लाईन बांरा में दिनांक 04.04.2007 को अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी। अपीलार्थी को पुलिस लाईन बांरा में कानि. के पद पर पदस्थापित रहते हुए डाक देने के लिये पुलिस मुख्यालय, जयपुर व आर.पी.टी.सी. जोधपुर मय रोडवेज बस वारण्ट बुक नं. 3522 का सीरियल नं. 40, 41,

42, 43, 44 व रेल्वे वारण्ट बुक नं. 2044 सीरियल नं. 43–44 के रवाना किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 09.07.2010 को बांरा से रवाना होकर, जयपुर पहुंचा, पुलिस मुख्यालय में डाक दी। बाद डाक अपीलार्थी को जयपुर से जोधपुर डाक देने जाना था, लेकिन अपीलार्थी दिनांक 09.07.2010 को जोधपुर नहीं जाकर रेलवे वारण्ट बुक नं. 2044 के सीरियल नं. 44 से जयपुर से नागौर चला गया, नागौर रात रूककर दिनांक 10.07.2010 को रोडवेज बस वारण्ट बुक नं. 3522 सीरियल नं. 40 से जोधपुर गया। दिनांक 10–11.07.2010 को शनिवार–रविवार का अवकाश होने से दिनांक 12.07.2010 को डाक दी। वहां से रवाना होकर दिनांक 13.07.2010 को जयपुर डाक देता हुआ दिनांक 15.07.2010 को बांरा आया, वापसी पर अपीलार्थी ने उपभोग में लिये गये बस वारण्ट व रेलवे वारण्ट व शेष रहे वारण्टों की प्रतियां जमा करायी। दिनांक 15.07.2010 को पुलिस लाईन बांरा के रोजनामचा आम का श्री राजेश गिरी, आर.आई. द्वारा अवलोकन किया गया तो अपीलार्थी द्वारा रेलवे वारण्ट बुक नं. 2044 के सीरियल नं. 44 से दिनांक 09.07.2010 को जयपुर से नागौर व दिनांक 10.07.2017 को रोडवेज बस वारण्ट बुक नं. 3522 के सीरियल नं. 40 से नागौर से जोधपुर का सफर किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त बस/रेल्वे वारण्टो का अपने व्यक्तिगत काम के लिये उपभोग लेने का कृत्य घोर लापरवाही एवं सरकारी धन का दुरूपयोग होने से अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपीलार्थी द्वारा राजकीय सेवा में की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 03.08.2010 से अपीलार्थी को 17 सीसीए नियम 1958 का नोटिस दिया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2010 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिये गये जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तो अपीलार्थी के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये जाने से अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर के ईओबी संख्या 992/2016 दिनांक 08.01.2016 व पुलिस अधीक्षक के डीओबी संख्या 649 दिनांक 18.11.2016 से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर में होने से दिनांक 17.11.2016 को बांरा जिले से कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका जिक्र पुलिस अधीक्षक, बांरा के पत्र दिनांक 06.11.2017 में भी अंकित है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 04.04.2007 की है। दिनांक 04.04.2007 से दिनांक 04.04.2016 को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिया जाता किन्तु डी.ओ.बी. संख्या–517 दिनांक 31.08.2010

से अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड की सजा का प्रभाव होने से नियत दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् चयनित वेतनमान देय है। चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन सचिव, वित्त बजट राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के पत्र दिनांक 05.06.2012 के परिपत्र में लघु शास्ति/परिनिन्दा के दण्ड का पदोन्नति एवं चयनित वेतनमानों/एसीपी की स्वीकृति के प्रभाव के बारे में अंकित है। इसी परिपत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में नवीनतम अभिमत विशेष अपील संख्या 8404/2011 राजस्थान राज्य बनाम शंकर लाल परमार के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2011 में यह निर्धारित किया है कि परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित राजसेवकों को एक वर्ष विलम्ब से चयनित वेतनमान स्वीकृत करना उचित होना माना गया है अपीलार्थी का परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव वार्षिक वेतन वृद्धि में नहीं पड़ा है। अपीलार्थी को एक वर्ष डेफर करते हुए चयनित वेतनमान देय है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह माना है कि जहां परिनिन्दा का दण्ड पारित किये जाने से पूर्व अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की विवेचना नहीं की है, वहां पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं डाला जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में निम्न मत व्यक्त किया गया है:–

R*aghuveer Singh S/O Shri Ummed Singh vs State Of Rajasthan (S.B. Civil Writ Petition No. 20358/2018) decided on 7 May, 2024*

"27. The basic principle of the service jurisprudence is that whenever an adverse order is passed against a Government servant then it must be in such a manner that it could show that there is a proper application of mind. An order passed without application of mind, is illegal and arbitrary and same is not sustainable in eyes of law. The Disciplinary Authority must consider the facts on record i.e. the allegations against the Government servant and the written explanation, oral submissions made by the Government servant before passing the order of penalty and such an order imposing penalty must contain good and sufficient reasons. Orders imposing penalty must be speaking orders containing the reasons for coming to such conclusion of holding the delinquent employee guilty of any misconduct and the reasons for holding the charges proved against that delinquent employee.

Failure on the part of the Disciplinary Authority not disclosing the reasons for reasons of not accepting the explanation of the petitioner cannot be said to be a speaking order and the order which fails to disclose the reasons is an illegal order and cannot be sustained. "

5. इस अधिकरण द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने क निर्णय को अपास्त नहीं किया जा सकता, परंतु यह अवश्य देखा जा सकता है कि परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रभाव चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने पर डाला जा सकता है या नहीं। परिनिन्दा के दण्ड का जो आदेश दिनांक 31.08.2010 को पारित किया गया है, उसमें केवलमात्र अपचारिक अधिकारी की दलीलों का अंकन करते हुए आरोप प्रमाणित होना माना गया है। अपचारिक अधिकारी द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उसमें कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के दृष्टिगत हम पाते हैं कि परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो आदेश है, उसका कोई प्रभाव चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने पर नहीं डाला जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2016 अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ बिना परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव डाले उसे देय दिनांक से ही स्वीकृत किया जाएं, साथ ही अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भी भुगतान किया जायें।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)